संख्या-802/49-1-2023

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- मुख्य महाप्रन्धक,
उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड,
गोमती नगर लखनऊ।

2- आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ०प्र०,
लखनऊ।

3- प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1लखनऊ: दिनांक 08 दिसम्बर, 2023

विषयः केंद्र पुरोनिधानित योजना को क्रियान्वित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, तथा आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० कार्यालय तथा मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों में कम्प्यूटराईजेशन हेतु राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-L-12012/1/2023-CTP, दिनांक 16.11.2023, कार्यालय ज्ञाप संख्या-L-12012/1/2023-CTP, दिनांक 06.10.2023 तथा उ०प्र० शासन, सहकारिता अनुभाग-1 का पत्र संख्या-1/433883/2023 दिनांक 24.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। उक्त केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंकों तथा आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० कार्यालय तथा मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों में कम्प्यूटराईजेशन का कार्य किया जाना है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-संख्या-L-12012/1/2023-CTP, दिनांक 16.11.2023, के साथ संलग्न दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या-5.3.3 में उल्लेख है कि "State/UT Governments will be responsbile for implementation and Monitoring of the Project in their respective State/UTs through the

existing SLIMC (State Level implementation and Monitoring Committee). जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, एवं आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० लखनऊ, मण्डलीय कार्यालय/जनपदीय कार्यालय के कम्प्यूटराईजेशन हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजना को कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु राज्य स्तर पर समिति गठित की जानी है।

3- अतः राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति का कार्य अनुमोदित गाइड लाइन्स का क्रियान्वयन एवं राष्ट्रीय स्तर की गठित समिति को फीडबैक उपलब्ध कराया जाना, राज्य में योजना क्रियान्वयन हेतु निर्देशन एवं नियन्त्रण करना, उक्त योजना हेतु किये गये प्रस्तावों का परीक्षण एवं अनुशंसा करना तथा राष्ट्रीय स्तर की गठित क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (एन.एल.एम.आई.सी.) द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य भी सम्मिलित हैं। उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० के कम्प्यूटराईजेशन हेतु राज्य स्तरीय कार्यावन्यन एवं निगरानी समिति (एस०एल०आई०एम०सी०) निम्नवत गठित की जाती है :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता उ०प्र० शासन- अध्यक्ष।
2- मुख्य महाप्रबन्धक, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, (नाबार्ड), गोमतीनगर लखनऊ- सदस्य।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन/
उनके प्रतिनिधि जो विशेष सचिव के स्तर से अनिम्न का हो- सदस्य।
4- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० लखनऊ/उनके प्रतिनिधि- सदस्य।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उ०प्र० शासन का प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न का हो- सदस्य।
6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०- सदस्य।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० (एस.एन.ए.)- सदस्य सचिव।

उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, में कम्प्यूटराईजेशन हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० को सिंगल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) नामित किया जाता है।

उक्त समिति राज्य स्तर पर अनुमोदित दिशा-निर्देशों को लागू करने और (एन०एल०एम०आई०सी०) को फीड बैंक प्रदान करने एवं राज्य में परियोजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और संचालन करने के साथ ही इस परियोजना में लिये जाने वाले प्रस्तावों की जाँच करेगी तथा योजना को समय से पूर्ण करवायेगी।

4- उक्त के साथ-साथ सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० कार्यालय तथा मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों में कम्प्यूटराईजेशन हेतु राज्य स्तरीय कार्यावन्यन एवं निगरानी समिति (एस०एल०आई०एम०सी०) निम्नवत गठित की जाती है :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता उ०प्र० शासन- अध्यक्ष।

2- मुख्य महाप्रबन्धक, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, (नाबार्ड) गोमतीनगर लखनऊ- सदस्य।

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन/
उनके प्रतिनिधि जो विशेष सचिव के स्तर से अनिम्न का हो- सदस्य।

4- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० लखनऊ/उनके प्रतिनिधि जो अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक स्तर से अनिम्न का हो- सदस्य सचिव।

5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन का प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न का हो- सदस्य।

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०-सदस्य।

आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० कार्यालय, मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों में कम्प्यूटराईजेशन हेतु आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० लखनऊ को सिंगल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) नामित किया जाता है।

5- उपर्युक्त प्रस्तर-3 एवं 4 में गठित एस०एल०आई०एम०सी० समितियाँ उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० तथा आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० कार्यालय तथा मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों में कम्प्यूटराईजेशन के सम्बन्ध में भारत सरकार व नाबार्ड (NABARD) तथा सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग, आई०टी० एवं इलेक्ट्रिानिक्स विभाग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन विभागों द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं भविष्य में निर्गत किये जाने वाले दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित सिंगल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) की होगी।

संलग्नक-यथोक्त।

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या-802(1)/49-1-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अवर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, सी०टी०पी०/आई०टी डिवीजन, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 को पत्र संख्या-L-12012/1/2023-CTP, दिनांक 16.11.2023, के क्रम में।

2- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता विभाग उ०प्र० को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, सहकारिता, विभाग उ०प्र० शासन ।

5- अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (बैंकिंग/प्रशासन/सहकार से समृद्धि), सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ।

7- राज्य सूचना अधिकारी, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ।

8- समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, सहकारिता विभाग उ०प्र० शासन ।

9 गार्ड फाईल।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव ।